रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07072026-274227
CG-MH-E-07072026-274227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948
No. 437]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 03 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2026/310.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11(1), धारा 11(2)(खक) तथा धारा 12(1) एवं धारा 12 (1क) के साथ पठित धारा 30(1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के तहत, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन लागू होंगे:

परंतु यह कि विनियम 3 का उप-विनियम III इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होगा ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,-

I. विनियम 3(2) में, शब्द, चिह्न तथा अक्षर "दूसरी अनुसूची के भाग-क में निर्धारित की गई फीस लगाई जाएगी तथा" हट जाएंगे;

II. विनियम 43ख(2) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक "यथा उल्लिखित आवेदन के साथ, 1,000 अमरीकी डॉलर" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "जिस आवेदन का जिक्र किया गया है, उसके साथ किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो रु.90,000 के बराबर की रकम" आ जाएंगे;

III. पहली अनुसूची में, पैरा IV तथा पैरा V अब क्रमश: पैरा V तथा पैरा VI बन जाएंगे, और इस प्रकार बने पैरा V से पहले, निम्नलिखित नया पैरा IV जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"IV. एफ.पी.आई. (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) की जन्म-तिथि / उसके गठन (इनकारपोरेशन) की तारीख / करार (एग्रीमेंट) की तारीख / भागीदारी संबंधी दस्तावेज (पार्टनरशिप डीड) या ट्रस्ट संबंधी दस्तावेज (ट्रस्ट डीड) की तारीख / उसके बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या असोसिएशन ऑफ पर्सन्स के तौर पर गठन की तारीख ../../.... है ।"

IV. दूसरी अनुसूची में, भाग-क में,

i. खंड (1) में,

क. शब्दों तथा अंकों "क्रमशः 2500 अमरीकी डॉलर और 250 अमरीकी डॉलर की या उतनी रजिस्ट्रीकरण फीस" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "रजिस्ट्रीकरण फीस के तौर पर, किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो क्रमशः रु.2,30,000 और रु.23,000 के बराबर की रकम या कोई दूसरी रकम" आ जाएंगे; और

ख. शब्दों "अभिहित निक्षेपागार सहभागी के पास फॉर्म प्रस्तुत करते समय" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने से पहले, डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (अभिहित निक्षेपागार सहभागी) के पास" आ जाएंगे ।

ii. खंड (4) में, पहले परंतुक में,

क. अंक तथा शब्दों "प्रतिदिन 50 अमरीकी डॉलर" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो प्रतिदिन रु.4,500 के बराबर की रकम" आ जाएंगे; और

ख. अंक तथा शब्दों "प्रतिदिन 5 अमरीकी डॉलर" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो प्रतिदिन रु.500 के बराबर की रकम" आ जाएंगे।

iii. खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(5) प्रत्येक डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (अभिहित निक्षेपागार सहभागी) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से ली गई फीस भारतीय रुपये में बोर्ड के पास उसी प्रकार जमा कराएगा, जैसा नीचे बताया गया है:

(क) पहली बार लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन के मामले में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर फीस जमा करते समय उस फॉर्मेट में ब्यौरे भी प्रस्तुत कर दिए जाएँ, जो समय-समय पर निर्धारित किया जाए;

(ख) रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अगले ब्लॉकों हेतु अदा की जाने वाली फीस के मामले में या फीस अदा करने में हुई देरी हेतु अदा की जाने वाली फीस के मामले में, डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी

पार्टिसिपेंट को जिस तारीख को वह फीस प्राप्त हो उस तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर फीस जमा करते समय उस फॉर्मेट में ब्यौरे भी प्रस्तुत कर दिए जाएँ, जो समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।"

V. दूसरी अनुसूची में, भाग-ग में, खंड (1) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक "निर्गमित (जारी / इश्यू) की गई अपतटीय व्युत्पन्नी लिखत (ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट) के प्रत्येक अभिदाता (सब्स्क्राइबर) से, 800 अमरीकी डॉलर या उतनी विनियामक फीस, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए, एकत्र करेगा और उसे बोर्ड के नामित बैंक खाते (डेज़िग्नेटिड बैंक अकाउंट) में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण (ट्रांसफर) के माध्यम से" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "इश्यू (जारी / निर्गमित) किए गए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (अपतटीय व्युत्पन्नी लिखत) में पैसा लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति (सब्स्क्राइबर / अभिदाता) से, विनियामक (रेग्यूलेटरी) फीस के तौर पर, किसी भी देश की ऐसी मुद्रा में जो स्वीकार्य हो रु.75,000 के बराबर की रकम या कोई दूसरी रकम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए) लेगा और उसे बोर्ड के संबंधित बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करके" आ जाएंगे ।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./206/2026-27]

<u>टिप्पणी</u>:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 [अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36] 23 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/279) द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No.SEBI/LAD-NRO/GN/2026/310.— In exercise of the powers conferred by Section 30(1) read with Section 11(1), Section 11(2)(ba), Section 12(1) and Section12(1A) of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and under Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2026.

2. They shall come into force on the one hundred eightieth day from the date of publication of these regulations in the Official Gazette:

   Provided that sub-regulation III of regulation 3 shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, –

I. In regulation 3(2), the words "the fee specified in Part A of the Second Schedule and" shall be omitted;

II. In regulation 43B(2), the words and symbols "US $1000" shall be substituted with the words and symbols "Rs. 90,000 in eligible foreign exchange equivalent";

III. In the First Schedule, paragraph IV and V shall be renumbered as paragraph V and VI respectively and before the paragraph V so renumbered, the following new paragraph IV shall be inserted, namely, -

"IV. The date of Birth/Incorporation/Agreement/Partnership or Trust Deed/Formation of Body of Individuals or Association of Persons of the foreign portfolio investor is ../../…."

IV. In the Second Schedule, in Part A,

i. In clause (1),

a. the words and symbols "US $2500 and US $250" shall be substituted with the words and symbols "Rs. 2,30,000 and Rs. 23,000 in eligible foreign exchange equivalent"; and

b. the words "at the time of submission of the Form" shall be substituted with the words "prior to the grant of certificate of registration".

ii. In clause (4), in the first proviso,

a. the words and symbols "US $50" shall be substituted with the words and symbols "Rs. 4,500 in eligible foreign exchange equivalent"; and

b. the words and symbols "US $5" shall be substituted with the words and symbols "Rs. 500 in eligible foreign exchange equivalent".

iii. Clause (5) shall be substituted with the following, namely, -

"(5) Every designated depository participant shall remit the fees collected from the foreign portfolio investors in INR to the Board in the following manner:

(a) in the case of initial registration, within five working days from the date of grant of certificate of registration to the foreign portfolio investor, along with the details in the format, as may be specified from time to time;

(b) in the case of fees paid for subsequent blocks after registration or any late fees, within five working days from the date of receipt of such fees by the designated depository participant, along with the details in the format, as may be specified from time to time.”

V. In the Second Schedule, in Part C, in clause (1) the words and symbols “US $800” shall be substituted with the words and symbols “Rs. 75,000 in eligible foreign exchange equivalent”.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./206/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 was published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36) and was last amended by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2025 vide Notification No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/279.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.07 21:47:56 +05'30'